न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–66 / 2020
बिहार सरकार द्वारा अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा बनाम पप्पु पासी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
14/8...2019	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–258 / मद्य नि0को0, दिनांक–12.02.2020 से प्राप्त बिरौल थाना कांड संख्या–61 / 19 में उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन **मोटरसाईकिल** रजि0 सं0– BR07AF-4051 के राज्यसात् करने हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उक्त के आलोक में वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा हेतु समयावेदन दाखिल किया गया। परन्तु उसके पश्चात अनुपस्थित है। इसलिए न्यायहित में एक पक्षीय सुनवाई की गयी। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाईकिल चालक पुलिस को देखकर **मोटरसाईकिल** रजि0 सं0– BR07AF-4051 एवं उस पर लदे दो बोरा को छोड़कर भाग गया। दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष उक्त दोनो बोरा को खोला गया जिसमें से एक बोरा में कार्टून में 180*ml* का 25 बोतल सील्ड Officer Choice Blue एवं दूसरे बोरा में कार्टून में 180*ml* का 46 बोतल Party Special Deluxe Whisky कुल 12.78 लीटर सील्ड विदेशी शराब बरामद किया गया। जिसे उक्त मोटरसाईकिल के साथ विधिवत जब्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की गयी। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात होना चाहिये। विद्वान विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्त मोटरसाईकिल से एक बोरा में कार्टून में 180*ml* का 25 बोतल एवं दूसरे बोरा में कार्टून में 180*ml* का 46 बोतल कुल 12.78 लीटर अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन किया जा रहा था, जिसे पुलिस बल द्वारा तलाशी के क्रम उक्त मोटरसाईकिल के साथ विधिवत् जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी वाहन स्वामी को समुचित अवसर देने के पश्चात भी उनकी ओर से कोई भी कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049 / 2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से	

स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में बिरौल थाना कांड संख्या–61/19 में उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन **मोटरसाईकिल** रजि0 सं0– BR07AF-4051 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति उत्पाद अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा